BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

Vol. XXXXIV 8th May 2013 No. 5

पटना प्रक्षेत्र के आई.जी. के साथ चैम्बर में संवाद

* राजधानी में आर्थिक गतिविधियाँ व्यवसायियों के कारण है, पुलिस व्यवसायियों की हर सम्भव मदद करेगी – श्री खोपड़े

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः आईजी पटना प्रक्षेत्र श्री सुशील एम. खोपड़े, डीआईजी सेंट्रल रेंज श्री सुनील कुमार, एसएसपी श्री मनु महाराज, सीटी एसपी श्री जयंत कांत एवं ट्राफिक एसपी श्री चन्द्रिका प्रसाद।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र श्री सुशील एम. खोपड़े एवं चैम्बर सदस्यों के बीच संवाद का कार्यक्रम हुआ । कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की । इस अवसर पर आरक्षी उप महानिरीक्षक सेन्ट्रल रेंज श्री सुनील कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक श्री मनु महाराज, नगर आरक्षी अधीक्षक श्री जयन्त कान्त एवं आरक्षी अधीक्षक (यातायात) श्री चन्द्रिका प्रसाद भी मौजूद थे।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने जो सुझाव दिये उसमें प्रमुख हैं:– आधुनिक तकनीक से पुलिस बल को सुसज्जित किया जाय, बड़े थानों के अंतर्गत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना की जाय, प्रथम सूचना रिपोर्ट को ऑन लाइन दर्ज कराने की व्यवस्था प्रारम्भ की जाय, स्टेशन गोलम्बर पर रोड ओभर ब्रिज का निर्माण कराया जाय, दुपहिया वाहनों पर अधिक से अधिक पेट्रोलिंग करवायी जाय, अपराध संवेदनशील स्थानों पर सघन पुलिस पेट्रोलिंग हो, व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि होनी चाहिए और व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए, चैम्बर तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर पुलिस प्रशासन की बैठकें होनी चाहिए, पुलिस क्वाटरों में आधुनिक सुविधा, मरम्मत आदि की व्यवस्था हो ताकि पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि हो, पटना पुलिस को GPRS से अविलम्ब लैस किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त ट्रेफिक व्यवस्था से संबंधित कई समस्याएँ बतायी एवं सुधार हेतु सुझाव भी दिये जिसके तहत छोटे डिलिवरी भान को वर्जित अवधि में प्रवेश की अनुमति मिले ताकि दवा, आवश्यक वस्तुओं बेबी फूड तथा अन्य खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हो सके, नो इन्ट्री के नाम पर छोटे डिलिवरी भानों को रोककर परेशान न किया जाय । गाड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण एक अलग यातायात नियंत्रण कक्ष पटना एवं अन्य बड़े शहरों में तुरंत स्थापित होने चाहिए । भीषण ट्रेफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी–टॉकी युक्त जवानों को पर्याप्त संख्या में लगाया जाना चाहिए । पटना के मुख्य व्यावसायिक स्थलों पर गाड़ियों के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर उसे विकसित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया कि पटना के अधिकांश व्यावसायिक स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में वन–वे ट्रेफिक से ही यातायात व्यवस्था में आमूल–चूल सुधार हो सकता है ।

सदस्यों को संबोधित करते आईजी पटना प्रक्षेत्र श्री सुशील एम. खोपड़े। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका एवं पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि पटना पुलिस संभावित अपराध को विफल करने के लिए प्रशंसा की पात्र है । कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पटना में One way Traffic की नितान्त आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पटना सिटी में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिये ''पटना सिटी विकास मोर्चा'' का गठन हुआ है जिसमें सरकार एवं पुलिस के सहयोग की आवश्यकता है । ट्रेफिक पुलिस की संख्या बल भी काफी कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए । चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन ने कहा कि ट्रेफिक नियमों के पालन हेतु एक बार भय पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग आगे गलती नहीं करें।

इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने इस संवाद में विधि-व्यवस्था एवं यातायात पर अपने सुझाव दिये, वे थे – श्री के. के. अग्रवाल, श्री अमर कुमार अग्रवाल, श्री पी. एन. खन्ना, श्री एम. पी. बिदासरिया, श्रीमती सुमन लाल, श्री आर. एस. मलहोत्रा, श्री शिशिर कुमार, सचिव, महारजगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ, श्री राजेन्द्र खेमका, श्री प्रदीप जैन, श्री उत्पल सेन, श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह, वरीय अधिवक्ता तथा श्री चन्द्रमा पाण्डेय, मैनेजर, कृष्णा सिक्युरिटी एजेंसीज एवं श्री गुरुचरण गांधी। संवाद में व्यवसायियों का कहना था कि अब वे अपराध से नहीं बल्कि सड़क जाम से भयभीत रहते हैं । स्थिति यह है कि ग्राहक दुकानों तक आसानी से नहीं पहुंच सकते । अतिक्रमण की वजह से उनका कारोबार मंदा और प्रभावित हो रहा है । यदि ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कई क्षेत्रों में दुकानें बन्द कर देनी होगी । जिन क्षेत्रों की समस्याएं उजागर हुई उनमें न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, गोविन्द मित्रा रोड, न्यू डाक बंगला रोड, अगम कुआँ, बाईपास रोड, मारूफगंज, हथुआ मार्केट, एक्जीविशन रोड आदि क्षेत्र थे ।

व्यवसायियों की समस्याओं से अवगत होते हुए पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र श्री सुनील एम. खोपड़े ने कहा कि राजधानी में आर्थिक गतिविधियाँ आप व्यवसायियों के फलस्वरूप है अतः पुलिस आपको हर संभव मदद करेगी । हर घर पर पुलिस की तैनाती संभव नहीं है । जमीनी समस्या सुनने के बाद हम उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे । आप अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाये । 1 मई 2013 से हम लॉ एण्ड ऑडर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन को अलग कर रहे हैं । पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना सहित कुछ अन्य जिलों में यह शुरू किया जायेगा । उन्होंने आगे कहा कि अब किरायेदारों व नौकरों का सत्यापन मकान मालिकों के लिए आवश्यक होगा । इसके लिए शीघ्र आदेश निर्गत होगा । श्री खोपड़े ने कहा कि पटना प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सीआरपीएफ एवं पुलिस द्वारा सिक्युरिटी गार्ड को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इच्छुक एजेन्सी अपने संस्थान में कार्यरत गार्ड को पुलिस की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं । डी आई जी सेन्ट्रल रेंज श्री सुनील कुमार ने कहा कि FIR इलेक्ट्रोनीकली दर्ज हो, इस पर काम हो रहा है । इससे पीड़ित को अपना पक्ष रखने में सहुलियत होगी । उन्होंने कहा कि ट्रेफिक कंट्रोल रूम बनेगा । 26 चौक-चौराहों पर CCTV कैमरे लगेंगे । जिससे अपराध एव यातायात दोनो कंट्रोल होंगे ।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज ने कहा कि पटना में काम करने का उनका पुराना अनुभव है । पहले से चीजें बेहतर हुई है । उन्होंने कहा कि आप एक कदम चलें हम दस कदम चलकर दिखायेंगे । उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक साल के अन्दर पटना का ट्रेफिक सिस्टम बेहतर हो जायगा । उन्होंने कहा कि आपलोग अपराध पर नियंत्रण हेतु सहयोग करें । आपकी सूचना गोपनीय रहेगी । रंगदारी को समाप्त किया जायेगा । लड़कियाँ किसी अपराध को लेकर SMS से अपनी बात कहें, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी ।

सिटी एसपी श्री जयन्त कान्त ने चोरी की घटनाओं के आलोक में निजी सुरक्षा गार्ड को सजग बनाने का सुझाव दिया ताकि क्रास वेरिफिकेशन हो सके । सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी पर पहचान हो सके उसके लिये उन्हें Fluorescent Jacket पहनने को कहा जाय। पुलिस गश्ती का काम कर रहा है, इसकी भी समीक्षा हो ।

ट्रेफिक एस पी श्री चंद्रिका प्रसाद ने कहा कि ट्रेफिक सिस्टम टाउन प्लानिंग की समस्या है । पटना में सात लाख गाड़ियाँ हैं, एक लाख का सलाना निबन्धन हो रहा है, 50 हजार गाड़ियाँ रोज बाहर से शहर में आती हैं । वर्तमान में जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या का दवाब है उस हिसाब से सड़कें नहीं बनी है । श्री प्रसाद ने कहा कि आयुक्त के स्तर पर ट्रेफिक समस्या के समाधान के लिए चिन्तन हो रहा है । उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रेफिक समस्या में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे । इसमें आप सबों का सहयोग भी अपेक्षित है ।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी. पी. लोहिया, उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, सिक्युरीटी एजेंसीज के प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया बन्धु सहित चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे । महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा के धान्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

पैन न दें तो रद्द करें निबंधन : मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी निबधित व्यापारियों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य करने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो डीलर दो महीने में अपना पैन नंबर विभाग को उपलब्ध नहीं कराते हैं, उनका निबंधन रद कर दिया जाए। वे वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। **(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण 14.04.2013)**

गेल की गैस पाइप लाइन से बिहार में बढ़ेगा निवेश

बिहार सरकार ने गेल इंडिया की राज्य से गुजरने वाली जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन को मंजूरी दे दी है। यह पाइपलाइन बिहार के चार जिलों से होकर गुजरेगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी की उम्मीद बढ़ गई है।

(विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 27.04.2013)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004
Website-www.biada.in • Email-biada@rediffmail.com
Phone:0612-2675995/2675991 • Fax : 2675296

आदेश

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 42वीं बैठक में बियाडा अंतर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्रों में Exit Policy लागू करने का निर्णय लिया गया है। Exit Policy निम्नंकित रूप में लागू किया जायेगा:-

Exit Policy के तहत पात्र इकाई–

1. (i) जिन्होंने भूखण्ड आवंटित होने के बाद अपना उद्योग स्थापित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो परन्तु अब उन्होंने इकाई को बंद कर दिया है अथवा वाणिज्यक उत्पादन बंद कर दिया है तथा इकाई को पुनः चालू करने की स्थिति में नहीं है।

(ii) वैसे उद्यमी जिन्होंने उद्योग को स्थापित करने की दिशा में आवश्यक एवं कारगर कदम उठाया हो एवं भू-खंड पर असैनिक और/या यांत्रिक निर्माण कार्य किया हो, परंन्तु सम्यक कारणों से वे इकाई को पूर्णतः स्थापित करने एवं वाणिज्यि उत्पादन प्रारंभ करने में अपने-आप को अक्षम पा रहे हों।

(III) वैसे आवंटी जिन्होंने भूमि आवंटित होने के बाद सम्यक कारणों से उद्योग स्थापित करने की दिशा में आवश्यक एवं कारगर कदम न उठा पाये हों एवं आवंटित भूमि पर कोई भी कार्य न किया हो या नगण्य कार्य किया हो। इस कंडिका के तहत वही मामले अच्छादित होगें, जिनका आवंटन दिनांक 01.04.2005 के बाद हुआ है।

नीति कार्यान्वयन

2. जिस उद्यमी के द्वारा भू-खण्ड अथवा उसका अंश वापस किया जा रहा है उसे-

(I). कंडिका 1(I) एवं 1(II) के मामले में उस भू-खण्ड के वर्त्तमान बियाडा दर (भूवापसी के आवेदन की तिथि को) के आधार पर उनके द्वारा उपयोग की गई लीज/आवंटन अवधि की अनुपतिक कटौती कर शेष राशि से 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु कटौती की जायेगी। इसके अलावा अगर, किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/बिजली वितरण कम्पनी/सरकार के किसी अन्य विभाग या बिंयाडा का बकाया हो तो कंडिका 7 एवं 8 के अनुसार उसकी भी कटौती करने के उपरांत ही शेष राशि उद्यमी को भुगतान की जायेगी।

(II). कंडिका 1(III) के मामले में आवंटी द्वारा भूमि मद में बियाडा में जमा की गई राशि से उपयोग की गई लीज अवधि की अनुपातिक कटौती कर एवं अनुलग्नक के कंडिका 7 एवं 8 के अनुसार बकायों की कटौती कर शेष राशि से 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती की जोयेगी। उन्हें वर्तमान बियाडा दर के अनुसार गणना अनुमान्य नहीं होगी।

3. वैसी इकाईयों जिनका आवंटन/लीज रद्द कर दिया गया है उनके उपर यह नीति लागू नहीं होगी। इस नीति के लागू होने की तिथि से वही आवंटी इसका लाभ उठा सकेंगे, जिनका आवंटन/ लीज उस तिथि को बरकरार है।

4. वैसी इकाईयों जिनका आवंटन/लीज पूर्व में रद्द हुआ है लेकिन इस नीति के लागू होने की तिथि को उनके द्वारा रद्दीकरण आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है, तो वे इस नीति का लाभ उसी स्थिति में उठा सकते हैं, जब वे अपने वाद को वापस ले लें एवं तत्पश्चात बियाडा के समक्ष इस नीति के तहत आवेदन दें बशर्त्ते वे कंडिका । के तहत योग्य हों।

5. ऐसे सभी मामलों में आवेदन प्राप्त होने के बाद इसकी समीक्षा पी०सी०सी० के द्वारा की जायेगी एवं पी०सी०सी० की अनुशंसा के उपरांत भू-खण्ड वापस करने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्रबंध निदेशक में निहित होगी।

6. जो इकाईयाँ इस प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें वित्तीय संस्थान/बैंक/विद्युत वितरण कम्पनी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र या बकाया का स्थिति का प्रमाण-पत्र जहाँ लागू हो समर्पित करना होगा। इसके साथ हीं उन्हें यह शपथ-पत्र भी समर्पित करना होगा कि इसके अलावा उनके उपर किसी वित्तीय संस्थान/बैंक/विद्युत वितरण कम्पनी/ सरकार के किसी अन्य विभाग का बकाया नहीं है। इसके बाद भी वैसी इकाइयों के नाम के संबंध में एक सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायगी जिसमें यह उल्लेखित होगा कि उन इकाइयों पर अगर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/बिजली वितरण कम्पनी/सरकार के किसी अन्य विभाग का बकाया हो तो वे 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना बियाडा को उपलब्ध करा दें एवं यह भी सूचित करें कि क्या जमीन वापसी के प्रस्ताव में उन्हें कोई आपत्ति है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही ये आवेदन पी०सी०सी० के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे।

7. भूमि वापसी के बाद इकाई की राशि भुगतान करते समय उनसे उपर कंडिका 6 के अनुसार सभी प्रकार के बकाये और बियाडा का बकाया यदि कोई हो की कटौती करने के बाद ही कंडिका प्रकार के बकाये और बियाडा का बकाया यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद ही कंडिका 2 के अनुसार राशि भुगतान की जायेगी।

8. अगर आवंटित भू-खण्ड पर किसी प्रकार की संरचना निर्मित है या संयंत्र हो या दोनो हो तो उन्हें हटाने के लिये आवंटी को भूमि वापसी का आवेदन स्वीकृत होने की तिथि से दो माह का समय दिया जायेगा। यदि वे इस अवधि में उस संरचना या/और संयंत्र को नहीं हटाते हैं एवं बियाडा उसे स्वीकार करने पर सहमत नहीं हो तो बियाडा उनकी निलामी कर के राशि जब्त कर लेगा। अगर बियाडा उसे रखने पर सहमत हो तो इसका मूल्यांकन कर उससे मूल्यांकन की फीस तथा 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती कर शेष राशि लौटा देगा। ऐसे मामलों में इस राशि को वापस करते समय ऊपर कंडिका 4 एवं 5 के अन्तर्गत बकायों को सामंजित किया जायेगा। ऐसे मामलों में मूल्यांकन के आधार पर नये आवंटी से उसकी राशि वसूल कर नये आवंटी को उन संरचनाओं/संयंत्रों के उपयोग की अनमति बियाडा देगा।

9. यह नीति उन मामलों में भी लागू होगी जो कंडिका 1 के तहत आते हों परंतु उद्यमी पूरी भूमि को वापस करने के बजाये उसका अंश वापस करना चाहता हो एवं शेष भूमि पर निर्धारित अवधि (जो उद्यमी के द्वारा शपथ पत्र पर दिया जायेगा) में उद्योग स्थापित/पुनर्आरंभ करना चाहता हो।

10. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आम नोटिस के रूप में सूचना बैंक/वित्तीय संस्थानों/विद्युत वितरण कम्पनी /अन्य विभागों के लिए जारी की जायेगी। आम नोटिस की प्रति BSFC/BICICO को भेजी जायेगी।

11. **यह नीति 1 मई 2013 से 31 अक्टूबर 2013 तक लागू रहेगी।**

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 28.04.2013
ह०/-
कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक 2737/D/174/Dev/बियाडा /2013 दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि : मुख्य प्रशासनिक,पदाधिकारी, बियाडा, पटना / सचिव / कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना / भागलपुर / दारभंगा / मुजफ्फरपुर / विधि परामर्शी, बियाडा पटना / अध्यक्ष, बी. आई. ए., पटना / अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना / परामर्शी आई० टी एवं प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 30.4.2013
कार्यकारी निदेशक

Take further action on spl status early – says Nitish

***POSITIVE SIGN** 'The requests of Bihar, Odisha and R'sthan for spl status are under consideration in the planning commission'*

Chief Minister Nitish Kumar expressed happiness over the Centre's assertion that requests for special category Status for Bihar and two other states were "under examination".

"Yeh khushi ki baat hai (this is a matter of happiness)," Kumar told mediapersons as he emerged from the state assembly where nomination papers were filed by two JD (U) and one BJP candidates fro three legislative council seats.

Kumar, however, said the Centre should take further action for changing the special status criteria at the earliest "The Economic Survey and Union Finance Minister P. Chidambaram favoured changing criteria for special status to accord this privilege to a backward state like Bihar. Now, it, should be taken forward," he said.

Union Planning Minister Rajeev shukla had said in Parliament that the requests of Bihar, Odisha and Rajasthan for special category status were under examination in the Planning Commission while the request from Jharkhand for the same had been rejected.

Kumar has been demanding special category status for the state to spur its growth. The party had organised Adhikar Rally in Patna in November last year as also in Delhi recently in support of the demand.

(Source: H.T. 27-04-2013)

महामहिम राज्यपाल पद्मश्री डा. डी. वाई. पाटिल के सम्मान में दिनांक 5 अप्रैल 2013 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनन्दन समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों के व्यावसायिक संगठनों ने भी महामहिम का सम्मान किया। प्रस्तुत है सम्मान समारोह की झलकियाँ–

महामहिम के स्वागत हेतु प्रतीक्षारत चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं पूर्व अध्यक्षगण।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी. पी. लोहिया।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा।

महामहिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

मंच संचालन करते उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन पटना के अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह एवं महामंत्री श्री अमरेन्द्र कुमार।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, आरा के महामंत्री श्री पद्मराज कुमार जैन एवं अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद।

महामहिम को शॉल भेंटकर सम्मानित करते पूर्वी चम्पारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, मोतिहारी के अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह एवं अन्य।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, पटना के महामंत्री श्री बलराम प्रसाद

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते पूर्वोत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ मुकीम।

महामहिम को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित करते नालन्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहारशरीफ के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार अकेला एवं अन्य।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते जिला वाणिज्य परिषद्, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष श्री बिजय कुमार लोहिया।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते वैशाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाजीपुर के अध्यक्ष श्री अनिल चन्द्र कुशवाहा।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते पटना केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार यादव।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते हथुआ मार्केट व्यवसायी समिति के अधयक्ष श्री जगदीश अग्रवाल।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री राज कुमार एवं श्री महेश बहरूस।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते दानापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश गुप्ता।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते फोजेन फूड एसोसियेशन बिहार, पटना के अध्यक्ष श्री प्रकाश राय एवं महासचिव श्री ब्रजेश पटेल।

महामहिम को बूके देकर सम्मानित करते बांका जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, बांका के अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द तिवारी।

स्वागत सम्बोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

सभागार में उपस्थित चैम्बर के माननीय सदस्यगण एवं अतिथिगण।

आशीर्वचन देते महामहिम साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

महामहिम को चैम्बर का स्मृति चिह्न भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

महामहिम को अंगवस्त्रम भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल।

PT. GPO/R-10/NP-15/2012-2013 R.N. 4211/62

Reproduced below is copy of letter No. Com/Misc-104/2011 dated 04.04.2013 of Bihar State power (Holding) Co. Ltd, Patna (Commercial Department) regarding new electric connections to new entrepreneurs with re-alloted Industrial Plots of BIADA with dues outstanding in the name of old allottees:-

Bihar State Power (Holding) Company Limited, Patna
Commercial Department

Letter No. Com/Mis- 104/211 Date : 04-04-2013

From,

S.K.Sinha,

Chief Engineer(Com.)

Sub: New Electric Connections to New Entrepreneurs with re-allotted Industrial Plots of BIADA with dues outstanding in the name of old allottees.

Ref: Para - 4.1 and 4.15 of Bihar Electricity Supply Code, 2007.

Sir,

The requests of BIADA seeking new connections to new entrepreneurs with re-allotted Industrial Plots of BIADA, with dues outstanding in the name of old allottees has been examined by BSPHCL on the basis of codal provisons of Bihar Electricity Supply Code, 2007. In terms of the codal provisions made under Para-4.1 and 4.15 of Bihar Electricity Supply Code, 2007, BSPHCL has decided that new connection with re- allotment of Industrial Plots with dues outstanding in the name of old allottees **may be given,** subject to the conditions that:

1. The applicant (being an Individual) is not an associate or relative (as defined in Section 2 and respectively of the companies Act, 1956) of the defaulting consumer.
2. Where the applicant is a company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, is not controlled, or not having controlling interest in the defaulting consumer.
3. New electric connection on the ground shall not be refused, unless an opportunity to present his case is provided to the new applicant and a reasoned order is passed by the competent officer of the licensee.
4. The dues may be recovered as public demand under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act. 1914(1) as amended from time to time from the defaulting consumer/ company, and the NBPDCL and SBPDCL shall ensure that outstanding dues is entered in an agreement with new applicant.
5. While....................(*words vot readable*) .... Consumer, and where the defaulting consumer is a company............company, shall be ensured.
6. Where BIADA as financial institution has auctioned the property without consideration to licensees charges on assets, claim will be lodged with BIADA (the concerned financial institution) with diligent pursuance against the old outstanding dues, by the authorities of licensees.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. K. Singh)

Chief Engineer, Commercial

छोटे व्यापारियों को कर-मुक्त से बाहर रखने की सीमा बढ़ेः मोदी

मुम्बई में आयोजित फिक्की के जीएसटी विषयक दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चार वर्षों पूर्व राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति ने यह अनुशंसा की थी कि जीएसटी के तहत 10 लाख रुपया तक के टर्न-ओवर वाले छोटे व्यापारियों को कर दायरे से बारह रखा जाए, परंतु काफी मंहगाई बढ़ने के कारण यह अनुशंसा अब पुरानी पड़ गई है। अतएव, इस सीमा को और अधिक बढाया जाये । **(विस्तृत समाचार : सन्मार्ग, 23.4.2013)**

चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री सी. एम. सक्सेना का निधन

चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री सी. एम. सक्सेना का निधन दिनांक 27 अप्रैल 2013 को पूणे में हो गया। स्व. सक्सेना जी की पेपर एण्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज (बिहार) प्रा. लि. के नाम की एक फैक्ट्री थी जिससे 1966 में वे चैम्बर के सदस्य बने थे। स्व. सक्सेना 1967-68, 1969-70, 1976-77 एवं 1977-78 में चैम्बर के महामंत्री पद को सुशोभित कर चुके थे। करीब 20 वर्षों से वे पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे। स्व. सक्सेना जी में किसी भी समस्या का समाधान निकालने में गजब की प्रतिभा थी। वे चैम्बर के अलावे अन्य संस्थाओं से भी जुड़े थे। उनका स्वभाव भी काफी सहज एवं सरल था। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने उनके निधन को एक अपुरणीय क्षति बताया और कहा कि उनके महामंत्रित्व काल मे उनके द्वारा किया गया कार्य चैम्बर के इतिहास में सदैव अंकित एवं अविस्मरणीय रहेगा।

चैम्बर द्वारा न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) के संबंध में आपत्ति दर्ज कर पुनरीक्षण की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) के पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्तावित नई दर को लागू करने पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव समर्पित किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी०के० अग्रवाल ने बताया कि मूल्यांकन पंजी के संबंध में चैम्बर की ओर से सुझाव एवं आपत्ति प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास, विभाग, प्रधान सचिव, निबंधन एवं उत्पाद विभाग के साथ-साथ जिला उप निबंधक, पटना को भेजते हुए उनसे प्रस्तावित न्यूनतम मूल्यांकन पंजी की दरों में वृद्धि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश के अन्य प्रमुख स्थानों यथा- गुड़गांव, नोएडा मुम्बई एवं दिल्ली आदि स्थानों में साल में न्यूनतम मूल्यांकन पजी में 5-10% की वृद्धि की जाती है। आन्ध्र प्रदेश में तो न्यूनतम मूल्यांकन पजी में 10-30% की वृद्धि की गई है किन्तु, इसके प्रभाव को कम करने के लिए निबंधन शुल्क में कमी की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रस्तावित 300-1000% तक की वृद्धि राज्य में भवन निर्माण की गतिविधियों को प्रभावित करेगा जिसका कुप्रभाव राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ेगा क्योंकि निर्माण क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में काफी अंश का योगदान रहता है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने यह भी सूचित किया है कि प्रस्तावित न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में वृद्धि का आधार यदि प्राइस इंडेक्स (थोक अथवा खुदरा) को रखा जाता तो यह काफी तार्किक एवं विवेकपूर्ण होता।

उन्होंने यह भी सूचित किया कि न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में वृद्धि के कारण भूमि एवं भवन के बिक्रय में काफी प्रभाव पड़ेगा और इससे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन यथा- विवाह, बीमारों की चिकित्सा, बच्चों की पढाई आदि भी जमीन के क्रेता न मिलने के कारण बिक्री नहीं हो पायेंगे।

उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के संबंध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार कर न्यूनतम मूल्यांकन पंजी दर को तार्किक एवं विवेकपूर्ण रूप से लागू किया जाए जिससे समाज के सभी वर्गों को इससे राहत मिल सके।

विनम्र निवेदन **वित्तीय वर्ष 2013-14 के सदस्यता शुल्क के भुगतान हेतु विपत्र माननीय सदस्यों की सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा हो, उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजकर अनुग्रहित करें।**

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296